UPAL010051502026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–02, अलीगढ़।

पीठासीन अधिकारी– तोष कुमार शर्मा (उच्चतर न्यायिक सेवा) –UP 6557

Anticipatory Bail Application—2409 /2026

1. पप्पू उर्फ नूरमौहम्मद पुत्र नन्ने
2. असलम पुत्र असलूफ
3. कलुआ पुत्र काजी
4. अज्जू उर्फ अजरूद्दीन खान पुत्र शाबिर
5. हारून पुत्र बाबू
6. शाजिद पुत्र अहमद

निवासीगण– गांव नूरपुर थाना–टप्पल जिला अलीगढ।

..........अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या–460 / 2021
अन्तर्गत धारा–379, 120 बी0 भा0द0स0
थाना–टप्पल, जिला–अलीगढ़

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र

यह उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण पप्पू उर्फ नूरमौहम्मद, असलम, कलुआ, अज्जु उर्फ अजरूद्दीन, हारून व शाजिद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 460 / 2021 अन्तर्गत धारा–379, 120 बी0 भा0द0स0 थाना टप्पल जिला अलीगढ में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन के अनुसार वादी के खेत 1.1 / 2 बीघे खेत गाटा संख्या–18 / 10 में स्थित है व मेरे खेत के बराबर में हारून का खेत स्थित है । हारून ने पिछले वर्ष अपने खेत करीब 7.8 बीघे में से लगभग 8 फिट मिट्टी जे0सी0बी0 मशीन से उठवा दी थी जिसके कारण मेरे खेत रिसाव हो रहा था और मेरे खेत को हानि पहुंच रही थी व अब भी पहुंच रही है । मेरे खेत में हो रहे नुकसान की जानकारी सभी लोगो को थी तो शाजिद ने मेरे खेत से मिट्टी उठाने की बात मुझसे कही तो मैने साजिद से मिटटी उठाने के लिये मना कर दिया दिनांक 26.10.2021 की सुबह अपने खेत में जाकर देखा तो मेरे खेत से मिटटी हारून के खेत से रास्ता बना कर जे0सी0बी0 मशीन से खोद कर टैक्टरो में भर कर उठवाई गई मैने हारून से पता किया तो उसने बताया कि अज्जू की जे0सी0बी0 मशीन थी और मैने जानकारी की तो मेरे खेत की मिटटी को जान मौहम्मद, पप्पू, असलम व कलूआ अपने टैक्टरों में भरकर अन्य स्थान पर पहुंचाई है। उपरोक्त ने वादी के खेत की मिटटी चोरी की है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जाए।

अभियुक्तगण / आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'दाण्डिक' को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्तगण / आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि

अभियुक्तगण/आवेदकगण को गलत तथ्यों पर झूठा फंसाय गया है। वादी ने पार्टी बंदी के कारण प्राथमिकी दर्ज करा दी है जब कि इस मामलें से अभियुक्तगण का काई लेना देना नहीं है। घटना का कोई चशमदीद गवाह नहीं है जिनसे मिटटी चोरी की गयी है उनका कोई नम्बर नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अतः अभियुक्तगण/आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाय।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का कड़ा विरोध किया गया है।

अभियुक्तगण पर वादी के खेत से वाहनो द्वारा मिट्टी चोरी करने का आरोप है। वादी न्यायालय में उपस्थित है। वादी की ओर से प्रार्थनापत्र इस बावत दिया गया है कि वादी ने गांव के लोगों के बताये अनुसार मुकदमा पंजीकृत कराया था। उसके खेत की मिट्टी अज्ञात लोग ले गये थे। अभियुक्तगण ने उसके खेत से मिट्टी नहीं उठायी है। उसे कोई विरोध नहीं करना है।

अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामलें में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है जिस पर प्रसंज्ञान लिया जा चुका है जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है और अभियुक्तगण के विरूद्व सम्मन जारी है। वादी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा– 161 द0प्र0सं0 में अपनी प्राथमिकी का स्पष्ट जिक्र किया है और अपने साथ घटी घटना की पुष्टि की है। अतः अपराध की गम्भीरता तथा मामलें के तथ्य एवम् परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण पप्पू उर्फ नूरमौहम्मद, असलम, कलुआ, अज्जु उर्फ अजरूद्दीन, हारून व शाजिद की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 460/2021 अन्तर्गत धारा–379, 120 बी0 भा0द0स0 थाना टप्पल जिला अलीगढ **खारिज** किया जाता है।

दिनांक–09.06.2026

(तोष कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–02, अलीगढ़।
UP 6557